



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपकरण)
U. P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-आशोक मार्ग, शक्ति मंडल, लखनऊ।
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या—1473—अ०प्र०—०७ / पाकालि / 24—०६—अ०प्र०—०७ / २२

दिनांक 28/06/2024

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत अवर अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक) की सहायक अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर प्रोन्नति हेतु दिनांक 02.11.2023 को सम्पन्न हुई विभागीय चयन समिति की बैठक में मोहरबन्द किये गये प्रकरणों में से श्री रवि रंजन कुमार (वरिक्र०-2012/CEH/256), अवर अभियन्ता के विरुद्ध प्रश्नगत प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण को लघु दण्ड प्रदान करते हुए समाप्त किये जाने के दृष्टिगत इनका मोहरबन्द लिफाफा दिनांक 11.06.2024 को सम्पन्न हुई विभागीय चयन समिति की बैठक में खोलकर, इन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान कार्यालय में अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (ई० एण्ड एम०) के पद पर On Seat प्रोन्नत किया जाता है:-

क्र० सं०	अवर अभियन्ता का नाम/पिता का नाम /जन्मतिथि/गृह जनपद/ SAP ID/ वरिक्र० सर्वश्री	वर्तमान तैनाती स्थान	आवंटित अभिज्ञान सं०
1	2	3	4
1	रवि रंजन कुमार/राम नरेश प्रसाद श्रीवास्तव/ 10-12-1987/मुजफ्फरपुर (बिहार)/ 11001870 / 2012/CEH/256	विठ०विठ०मंडल, सहारनपुर	2023088

2. परिषदादेश सं०-1849-काविनी/राविपि-29/97-14-काविनी/87, दिनांक 08.10.1997 के प्रस्तर-7(ग) में निहित प्राविधानानुसार श्री रवि रंजन कुमार (वरिक्र०-2012/CEH/256), को उनसे आसन्न कनिष्ठ श्री जीशान हैदर (वरिक्र०-2012/CEH/257) की सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति आदेश सं०-1254—अ०प्र०—०७ / पाकालि / 2024, दिनांक 04.06.2024 के निर्गमन की तिथि अर्थात् 04.06.2024 से प्रोन्नत माने जाने के आदेश किये जाते हैं।
3. प्रोन्नति पश्चात उपरोक्त अभियन्ता की उनके वर्तमान कार्यालय में ऑन सीट (On Seat) तैनाती अनन्तिम (Tentative) है, अन्तिम (final) तैनाती के लिये कारपोरेशन मुख्यालय स्तर से अगल से आदेश निर्गत किये जायेंगे।
4. उपरोक्त प्रोन्नत कार्मिक पूर्व परिषदादेश सं०-485-ए-आर/राविपि-01-28-एआर/89, दिनांक 27.03.89 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे।
5. सहायक अभियन्ता (वै० एवं यां०) के पद पर प्रोन्नत हुए अवर अभियन्ता (वै० एवं यां०) के नियंत्रक अधिकारी, यह सुनिश्चित करेंगे कि —
 - (क) अवर अभियन्ता निलम्बित न हो।
 - (ख) अवर अभियन्ता (वै० एवं यां०) के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोजन का प्रकरण लम्बित न चल रहा हो।
 - (ग) अवर अभियन्ता (वै० एवं यां०) के विरुद्ध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति की नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।

6. यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में काऊँज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या :-1473-अ0प्र0-07 / पाकालि / 2024 / तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
4. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारी का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने हेतु अवश्यक व्यवस्था करें।
5. मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को पत्रांक-1291/अनु0-01/सहा0अभि0/पदो0, दिनांक 30.09.2023 एवं 1391/अनु0-01/सहा0अभि0, दिनांक 25.10.2023 द्वारा प्रेषित छान समिति की आख्या के सन्दर्भ में।
6. उप सचिव (अ0प्र0-03/04/गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अनुभाग अधिकारी (अ0प्र0-03/04), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को वैयक्तिक पत्रावली हेतु।
10. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारी/प्रोन्नत अभियन्ता के सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि प्रोन्नत हुए अभियन्ता को अवर अभियन्ता के पद से कार्यमुक्त करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं तदक्रम में उनकी सेवा पुस्तिका प्राथमिकता से पूर्ण कराकर लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारी/प्रोन्नत अभियन्ता को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी प्रमाणक पत्र (चार्ज सर्टीफिकेट) उप सचिव (03/04), उ0प्र0 कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन (ई0मेल-ds0304uppcl@gmail.com / uppcls02@gmail.com) एवं लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार (ई0मेल-vetanlekha@gmail.com) को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
12. पत्रावली सं0-06-अ0प्र0-07 / 22
13. गार्ड फाइल / कट फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
 (राजेन्द्र कुमार वर्मा)
 उप सचिव (07)
verma